न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 58/2024
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

सज्जन कुमार पुत्र श्री जगदीश जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. विनोद कुमार पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सूरजकिरण पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-
वादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 30.4.2024

वादी सज्जन कुमार ने प्रतिवादीगण विनोद कुमार वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के विवादित खाता सं. 105/80 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 4.929 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं। उक्त कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का कब्जाकाश्त बाबत् विवाद नही है तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) वादी सज्जन कुमार पुत्र श्री जगदीश जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :- चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. विवादित खाता सं. 105/80 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.06 17:23:
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
174/165	51	2/2/0.224 है., 7/1/0.070 है., 7/2/0 [illegible], 8,13/0.253 है.प्र., 14/0.228 है., 15/0.157 है., 16/0.177 है., 17,24/0.253 है.प्र., 25/0.240 है.,
174/166	52	25/0.228 है.
175/166	53	1/1/0.202 है., 3/1/0.165 है., 6,7/0.253 है.प्र., 8/0.240 है., 9/1/0.101 है., 10/0.253 है., 13/1/0.063 है., 13/2/0.101 है., 14/0.253 है., 15/0.228 है., 21/0.126 है., 22/0.038 है.
		कुल 4.676 है. कृषि भूमि

(ब) प्रतिवादी सं. 1 व 2 क्रमशः विनोद कुमार पुत्र श्री रामजीलाल एवं सूरजकिरण पुत्र श्री रामजीलाल समस्त जाति जाट निवासीगण बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. विवादित खाता सं. 105/80 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
175/166	53	2/1/0.165 है., 3/1/0.063 है., 9/2/0.025 है.
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर [illegible] बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा [illegible] किया गया जो [illegible] बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. [illegible] हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के [illegible] तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के विवादित खाता सं. 105/80 जमाबन्दी सम्वत 2072-75 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1

लगातार ---3

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.06 17:23
Reason: SelfAttested

है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त खाता के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के विवादित खाता सं. 105/80 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 4.929 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त खाता के काश्तकार है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-

(क) **वादी सज्जन कुमार पुत्र श्री जगदीश जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :- चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. विवादित खाता सं. 105/80 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75**

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
174/165	51	2/2/0.224 है., 7/1/0.070 है., 7/2/0.069 है., 8,13/0.253 है.प्र., 14/0.228 है., 15/0.152 है., 16/0.177 है., 17,24/0.253 है.प्र., 25/0.240 है.,
174/166	52	25/0.228 है.
175/166	53	1/1/0.202 है., 3/1/0.140 है., 3/[illegible] है., 8/0.240 है., 9/1/0.101 है., 9/2/0.025 है., 10/0.253 है., 13/1/0.063 है., 13/2/0.101 है., 14/0.253 है., 15/0.228 है., 2[illegible] है., 22/0.038 है.
		कुल 4.676 है. कृषि भूमि

लगातार --4

Signature Not Verified
Digitally signed by Ra[illegible]
Meena
Date: 2024.05.06 17:2[illegible]
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(ब) प्रतिवादी सं. 1 विनोद कुमार व प्रतिवादी सं. 2 सूरजकिरण पुत्रगण श्री रामजीलाल समस्त जाति जाट निवासीगण बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. विवादित खाता सं. 105/80 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
175/166	53	2/1/0.165 है., 3/1/0.088 है.
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुताबिक राजीनामा डिक्री पारित की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.06 17:23:07 IST
Reason: SelfAttested